



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट,  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 16/11/2018

File No. Tour Programme/VC/29/2017/RU-III

2 RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III

सेवा में,

जिला कलेक्टर  
जिला किशनगंज  
(बिहार)

विषय: दिनांक 24.05.2018 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जिला कलेक्टर किशनगंज (बिहार) के साथ कि गई बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 24.05.2018 को जिला कलेक्टर किशनगंज (बिहार) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

(आर के दुबे)

सहायक निदेशक

दूरभाष-24601346

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III)

श्री रामजी हेम्ब्रम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार के द्वारा किशनगंज, बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के क्रम में वहाँ की जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कर कथित रूप से कपट-पूर्वक अवैध तरीके से छीनी गई उनकी भूमि लौटाने के लिए तथा मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत्त.

बैठक की तिथि : 24.05.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

1. श्री रामजी हेम्ब्रम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार ने किशनगंज, बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के क्रम में वहाँ के जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कर कथित रूप से कपट-पूर्वक अवैध तरीके से छीनी गई उनकी भूमि लौटाने के लिए तथा मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग को दिनांक 25.04.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 11.05.2017 को एक नोटिस भेजकर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार तथा जिला कलेक्टर, किशनगंज से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। निर्धारित समय सीमा

  
सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey  
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

मे जवाब प्राप्त नही होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19.05.2017 को स्मरण पत्र भेजकर पुनः 7 दिन के अंदर जवाब की अपेक्षा की गई।

3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का दिनांक 29.05.2017 का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर, किशनगंज को मामले में जवाब उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इसके उपरांत जिला कलेक्टर, किशनगंज का दिनांक 20.06.2017 का प्रेषित पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने इस संबंध में अंचल अधिकारी, किशनगंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराई। अभ्यावेदक इस संबंध में प्राप्त जवाब से संतुष्ट नही हुये। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि और प्रभावित जनजाति समुदाय के लोगों ने पुनः माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। इस पर विचार करते हुये स्थल निरीक्षण हेतु दौरा करने का निर्णय लिया।
4. दिनांक 07.07.2017 से 09.07.2017 तक माननीय उपाध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में आयोग के एक अन्य सदस्य तथा सहायक निदेशक की टीम ने स्थलीय निरीक्षण हेतु किशनगंज का दौरा किया। वहाँ दौरा के पश्चात जो रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजी गई उस पर सुसंगत कार्यवाही नही होने तथा विलंब के कारण आयोग का दूसरा दौरा दिनांक 14.11.2017 से 16.11.2017 तक माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा किया गया। इस दौरान प्राप्त शिकायतों और आयोग की अनुशंसा से बिहार सरकार को अवगत कराया गया। किन्तु इस पर भी समुचित कार्यवाही नही होने के कारण अभ्यावेदक ने आयोग से मामले में न्याय का निवेदन किया।
5. अभ्यावेदक के निवेदन पर आयोग ने दिनांक 15.05.2018 को एक सीटिंग नोटिस भेजकर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार तथा जिला कलेक्टर, किशनगंज को दिनांक 24.05.2018 को आयोग में चर्चा के लिए बुलाया।
6. आयोग में चर्चा के लिए जिला कलेक्टर, किशनगंज तथा अंचल अधिकारी, किशनगंज उपस्थित हुए।
7. आयोग ने अभ्यावेदक के प्रतिनिधि से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग द्वारा दौरा के पश्चात जो

